

मॉप-अप (तृतीय) चरण रियल टाईम काउंसिलिंग हेतु पर्यवेक्षकों के लिये दिशा-निर्देश (स्नातक)

1. पर्यवेक्षक को दिनांक 19/3/2021 को प्रातः 10:00 बजे संबंधित महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है।
2. सर्वप्रथम एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित महाविद्यालय की मॉप अप (तृतीय) चरण की मेरिट सूची प्राप्त करेंगे।
3. दिनांक 19/3/2021 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 20/3/2021 दोपहर 01:00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले छात्रों से मेरिट सूची में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कराकर उपस्थिति दर्ज करायेंगे जिसमें उपस्थिति का समय अनिवार्य रूप से अंकित किया जावेगा।
4. निर्धारित समयवाधि में उपस्थित छात्रों की मेरिट सूची दिनांक 20/3/2021 को दोपहर 02:00 बजे महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा उपस्थिति पंजी के साथ संचालनालय आयुष की ई-मेल आईडी jdayush@mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाये।
5. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित रिपोर्टिंग समय की समाप्ति के उपरान्त महाविद्यालय में उपस्थित होता है तो 02:00 बजे तक तैयार सूची में उसका नाम सबसे नीचे जोड़ा जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को 01:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उपरांत ही सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
6. महाविद्यालयवार रिक्त सीटों की जानकारी एम0पी0 ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध है।
7. दिनांक 20/3/2021 को दोपहर 02:00 बजे से रिपोर्टेड अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार छात्रों को नियमानुसार ऑनलाइन प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
8. बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता प्रवेश नियम 6.1 अनुसार होगी।
9. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 15/1/2021 अनुसार अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित नीट परसेंटाईल सीमा 40 प्रतिशतक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को तथा आरक्षित वर्ग हेतु 30 प्रतिशतक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाये। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु पात्रता अनारक्षित वर्ग हेतु 35 प्रतिशतक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 30 प्रतिशतक होगी।
10. प्रवेश प्रक्रिया हेतु पोर्टल दिनांक 20/3/2021 को रात्रि 11:59 बजे तक खुला रहेगा। अतः प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में संपन्न कराना सुनिश्चित किया जावे।
11. पर्यवेक्षक समस्त काउंसिलिंग कार्यवाही नियमानुसार अपनी देखरेख में संपादित कराना सुनिश्चित करें तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रिपोर्ट आयुक्त, संचालनालय आयुष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
12. किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर डॉ० सुशील कुमार तिवारी, उप संचालक, संचालनालय आयुष से दूरभाष क्रमांक-9425150803 एवं डॉ० अरविंद पटेल, औषधालय अधीक्षक से दूरभाष

कमांक-7974758826 पर तथा तकनीकी सहायता हेतु एम.पी. आनलाईन की आयुष हेल्पलाईन  
कमांक-0755-6720206 पर संपर्क किया जावे।

13. शासकीय स्वशसी आयुष महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
14. उपरोक्त निर्देशों का पालन न किये जाने अथवा प्रवेश प्रक्रिया में यदि कोई गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में पर्यवेक्षक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित



उप संचालक  
संचालनालय आयुष म0प्र0

www